डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 988 सन 2020

माननीय मनोज के तिवारी, न्यायमूर्ति।

श्री अंकुर शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री एन. एस. पुंडीर, उत्तराखंड राज्य के उप महाधिवक्ता।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ता, आपूर्ति निरीक्षक, सहसपुर, देहरादून द्वारा दिनांक 25.05.2020 को पारित आदेश से व्यथित है, जिसमें याचिकाकर्ता की दुकान के राशन कार्ड/इकाइयों को प्रतिवादी नं.4 द्वारा संचालित एक अन्य उचित मूल्य की दुकान से संलग्न किया गया है.

20 अगस्त 2020 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से याचिकाकर्ता के राशन कार्ड/यूनिट को किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान के साथ अटैच करने के लिए शक्ति के स्रोत के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए एक प्रश्न प्रस्तुत किया, क्योंकि इस न्यायालय का प्रथमदृष्टया मत था कि 15.10.2005 के सरकारी आदेश के खंड 10, जिस पर राज्य के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया, उचित मूल्य की दुकान के केवल निलंबन/रद्द होने के मामले में ही इस तरह के अटैचमेंट का प्रावधान करता है लाइसेंस।

आज राज्य की ओर से पेश उप महाधिवक्ता श्री एन. एस. पुंडीर ने कहा कि उनके निर्देशों के अनुसार सरकार के दिनांक 15.10.2005 के आदेश के किसी भी खंड में संबंधित उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण की अनुपस्थिति में राशन कार्ड/इकाई को किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान से अटैच करने का प्रावधान नहीं है।

जवाबी शपथ पत्र में यह कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 27.05.2020 को दी गई मंजूरी के मद्देनजर याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान के राशन कार्ड/इकाइयां किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान के साथ सम्बद्ध की गई हैं। यद्यपि इस तरह का अनुमोदन किसी अन्यथा अवैध आदेश को वैध नहीं ठहराएगा। उचित मूल्य की दुकान के यूनिट धारकों को किसी अन्य दुकान से अटैच करने से संबंधित लाइसेंसधारक पर सिविल परिणाम होगा, इसलिए, यह 15 अक्टूबर, 2005 के सरकारी आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा सकता है।

चूंकि उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस दिनांक 15.10.2005 के सरकारी आदेश के अनुसार दिया गया है और उक्त सरकारी आदेश में दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है, जो लाइसेंसधारी के विरुद्ध की जा सकती है, इसलिए मेरे विनम्र मत में, ऐसी सजा नहीं दी जा सकती है जिसका प्रावधान सरकारी आदेश में नहीं है।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 29.05.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान के राशन कार्ड/इकाइयां, जो किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध थीं, उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान पर बहाल किया जाएगा। यद्यपि प्रत्यर्थी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(मनोज के तिवारी, जे.)

24.08.2020

नवीन